| कोड संख्या पत्रावली संख्या |
|--|
| संदर्भ स |
| |
| तीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गाजियाबाद (मानिवत्र-स्वीकृति पत्र) |
| i0 नीएडा/भ0प्र0/वी0पी0 / 1385/ दिनांक (९१ ८७९- |
| |
| #, |
| श्रीमर्ती/श्री/मै0 |
| - + 6+, |
| A STATE OF THE STA |
| आपके प्रार्थना पत्र दिनांक के संदर्भ में आपके प्रस्तावित |
| दान की जाती है। |
| यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से तक वैध है। |
| मानिवर्षे की इस स्वीकृति से इस भरतार से संस्थान के व |
| पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा । |
| भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा । |
| याद भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी विना आपित के देय होगा । |
| भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैंड) न हो ! |
| विजली की लाईन से पूँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा । |
| आवंटी द्वारा भवनं सामेग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना |
| रवीकृत मानधित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य रवीकृत मानधित्रों के रथेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा । आंवटी तहस्वाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपयन्त |
| जिल्ला माना जाएवा । |
| आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र रवतः निरस्त माना जाएगा । |
| सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगें । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें । |
| आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नीएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग |
| |